समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 08 September 2026

पुणे मे बिल्डर्स को अल्टिमेटम : अजित पवार ने कहा नियम न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

Publisher

Published on 15 Sep 2025

पुणे में नागरिकों की बढ़ती नाराजगी और शिकायतों के बीच संरक्षक मंत्री अजित पवार ने बिल्डरों के लिए कड़ा संदेश दिया है। हडपसर निर्वाचन क्षेत्र के एक समीक्षा दौरे के दौरान अजित पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो बिल्डर नागरिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ काम रोकने का नोटिस जारी करने पर विचार किया जाए।

पुणे शहर में तेजी से बढ़ रहे निर्माण कार्यों के बीच कई बिल्डरों पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। स्थानीय निवासी और नागरिक समूह बार-बार शिकायत कर चुके थे कि कुछ बिल्डर पर्यावरणीय और शहरी नियमन की अनदेखी कर रहे हैं। हाल ही में हडपसर क्षेत्र में आयोजित एक जनसंवाद के दौरान नागरिकों ने मंत्री अजित पवार के सामने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों के दौरान धूल, कचरा और अव्यवस्थित निर्माण से उनका जीवन प्रभावित हो रहा है।

इस घटना के बाद अजित पवार ने स्पष्ट कर दिया कि अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “अधिकारी उन बिल्डरों को काम रोकने का नोटिस जारी करने पर विचार करें जो नागरिक नियमों का पालन नहीं करते। हमारा उद्देश्य केवल निर्माण को रोकना नहीं, बल्कि नियमों का सही पालन सुनिश्चित करना है।”

अजित पवार ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे स्थानीय निवासियों की शिकायतों को गंभीरता से लें और सुनिश्चित करें कि सभी निर्माण कार्य नियमानुसार हो रहे हैं।

स्थानीय नागरिकों ने मंत्री के इस कदम की सराहना की। उनका कहना है कि लंबे समय से नियमों का पालन न करने वाले बिल्डरों की वजह से उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नागरिकों ने आशा व्यक्त की कि अब अधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों पर वास्तविक कार्रवाई होगी।

पुणे नगर निगम ने भी बिल्डरों के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अधिकारियों ने कहा कि नियमों

का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों पर जांच और निरीक्षण किया जाएगा। अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो नोटिस जारी कर कार्य रोकने का कदम उठाया जाएगा।

नगर निगम के अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी निर्माण कार्य पर्यावरणीय और शहरी नियमन के अनुरूप हों। इसके अलावा, नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निवारण किया जाएगा।

विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के अल्टिमेटम और सख्त कार्रवाई से बिल्डरों पर नियमन का प्रभाव पड़ेगा। यदि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाता है तो न केवल नागरिकों की समस्याएँ कम होंगी, बल्कि शहर का विकास भी संतुलित और व्यवस्थित तरीके से होगा। शहरी नियमन और पर्यावरणीय मानकों के पालन से पुणे में जीवन स्तर बेहतर होगा और निर्माण उद्योग में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

अजित पवार के इस कदम के बाद अपेक्षा की जा रही है कि नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारी अधिक सक्रिय होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ नगर निगम के निरीक्षण और निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा। स्थानीय नागरिक और विशेषज्ञ दोनों मानते हैं कि यह कदम पुणे में शहरी नियमन और नागरिक जीवन की गुणवत्ता के लिए सकारात्मक संकेत है।

पुणे में नागरिकों की बढ़ती शिकायतों और हडपसर क्षेत्र के दौरे के दौरान मंत्री अजित पवार का अल्टिमेटम स्पष्ट संदेश देता है कि अब नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई से न केवल शहर में नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि नागरिकों में प्रशासनिक विश्वास भी बढ़ेगा।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.